

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

केम्प - अटल सेवा केन्द्र, फूलियाकलां

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 225/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री टीकगवन्द पिता गंगाराम रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहन पिता छोगा रेगर निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
2. श्री हगामा पिता हीरा गुर्जर निवासी नन्दा का खेड़ा तहसील फूलियाकलां
3. श्री हरदेव पिता गोविन्दा भाली निवासी खेड़ा हेतम तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के सहखातेदारी की भूमि ग्राम फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 890 के आराजी नम्बर 65 रकबा 0.64 है० आराजी कुल किता 01 रकबा 0.64 हैक्टयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाविन्द नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अगिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम फूलियाकलां संवत् 2068 से 2071 तक का अवलोकन किया



उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा फूलियाकलां में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 0.64 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हरतक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रुपये (अक्षरे एक सौ रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2016 को केम्प अटल सेवा केन्द्र फूलियाकलां पर सुनाया गया।



*[Signature]*  
6/6/16  
(एमओपीओ नायक)  
आरओएसओ  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

*[Signature]*  
6/6/16  
उपखण्ड अधिकारी  
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

।  
के  
-  
ता